राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर

क्रमांकः प.1(सामान्य)/निचिस्वा/विधि/2018/ 37 दिनांक :- 8-3-18

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित)
मुख्यालय।

समस्त संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
जोन–जयपुर/भरतपुर/अजमेर/जोधपुर/
बीकानेर/कोटा/उदपयुर।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

विषयः–10.02.2018 को आयोजित प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सम्पन्न करनें बाबत।
संदर्भः– विधि अनुभाग के पत्र कमांक 29 दिनांक 25.01.2018 के कम मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 10.02.2018 को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर पीठ के स्तर पर आयोजित होनें वाली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के अयोजन के संबंध में निर्देशित किया जाता है:-

1. प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होनें योग्य प्रकरण शमनीय दाण्डिक अपराध अन्तर्गत धारा 138, परकाम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम0ए0सी0टी0 मामले, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल (अशासनीय के अलावा), वैवाहिक विवाह, भूमि अधिग्रहण मामले, मजदूरी भत्ते एवं पैंशन भत्ते से संबंधित सेवा मामले अन्य मामलों से संबंधित प्रकरणों को आपसी समझोते के आधार पर निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
2. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र दिनांक 09.01.2018 में अंकित दिशा निर्देशानुसार हेतु कार्यवाही करते हुये एक सुनियोजित कार्य योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ लोक अदालत की कार्यवाही में भाग ले तथा अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करावें।
3. कि प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10.02.2018 में सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों से संबंधित सभी केस प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जावें कि नियत प्रकरणों में विभाग की ओर से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर आपसी राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिकाधिक निस्तारण करावें एवं प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनानें का अपना सक्रिय योग्यदान देवें।
4. प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित विभागीय प्रकरणों की सूचना विधि अनुभाग को उपलब्ध कराते हुये नियमानुसार पालना भी सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पत्र दिनांक 09.01.2018 की प्रति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.1(सामान्य)/निचिस्वा/विधि/2018/ 37 दिनांक :- 8-3-18

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक प.15(1)/चिस्वा./ग्रुप–3/2018 दिनांक 17.01.2018
2. उप सचिव, एक्शन प्लान एण्ड ए.डी.आर. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर को सूचनार्थ।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत्।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।